राजस्व अपील संख्या : 36 / 2025

उनवान : मोहनलाल व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 156

अपीलाण्ट्स :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

1. मोहनलाल पुत्र श्री हेमाजी
2. कन्या देवी पुत्री श्री हेमाजी पत्नी छोगारामजी
3. वगताराम पुत्र श्री अखाजी
4. चूनाराम पुत्र श्री अखाजी
5. भोमाराम पुत्र श्री देवाजी तमाम ही जातिगण मेघवाल निवासीगण कुमटिया तहसील बाली जिला पाली राज.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 06.08.2025 जो तहसीलदार बाली द्वारा जरिए नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 07.08.2025 के अपीलाण्ट का नाम विलोपित कर मृतक जयसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी कुमटिया के नाम स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़।

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 06.04.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **आदेश दिनांक 06.08.2025 जो तहसीलदार बाली द्वारा जरिए नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 07.08.2025 के अपीलाण्ट का नाम विलोपित कर मृतक जयसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी कुमटिया के नाम स्वीकृत किया गया।** अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह है कि सरहद मौजा बेड़ा तहसील बाली में राजस्व भूमि खसरा नम्बर 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311 कुल रकबा 3.4500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आयी हुई विद्यमान है जो आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि होकर अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18.09.81 को भूरमल पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जैन पोरवाल निवासी बेडा व अन्य से खरीद की है व उक्त भूरमल व अन्य ने जयसिंह से जरिये लिखत दिनांक 17.12.64 के खरीद की है व उक्त खरीद के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 के खोला गया व तदनुसार अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 36 / 2025
उनवान : मोहनलाल व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काश्त कर व करवा रहा है व इस दरम्यान उक्त नामान्तरकरण को चुनौति दिये जाने पर नामान्तरतरण अपील पेश करने पर श्री उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 24.02.86 को स्वीकार की गयी जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के यहां अपील संख्या 376 / 88 व 388 / 88 भूरमल बनाम केशरसिंह व अन्य की पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 18.02.94 को किया जाकर राजस्व वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की गयी व इस दरम्यान अपीलाण्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बाली क यहां लम्बित वाद संख्या 384 / 95 देवा बनाम भंवरसिंह दिनांक 22.07.2009 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किये जाने पर अपीलाण्ट ने आदेश 09 व नियम 04 सी.पी.सी. वाद रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2012 को अस्वीकार करते ही खारिज किया गया जिस आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट की ओर से राजस्व प्राधिकारी पाली के यहां अपील संख्या 87 / 2012 देवा बनाम भंवरसिंह की जो आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2025 को इस आधार पर खारिज किया गया की प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है तथा राजस्व मण्डल में निगरानी का प्रावधान होने से अपील पोषणीय नही मानते हुए खारिज की गई जो आदेश प्रथम दृष्टया विधिक रुप से नहीं होने से अपीलाण्ट ने उक्त आदेश का राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौति दी है तथा इन्हीं कानुनी पेचीदगियों का फायदा लेते हुए रेस्पोडेण्ट्स के यहां आवेदन पत्र पेश होने पर तहसीलदार बाली के यहां दिनांक 16.06.2025 को पटवारी हल्का बेड़ा को जरिये पत्र नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 को खारिज करने हेतु लिखा गया साथ ही पूर्व की स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट चाही गई। जिस आदेश की पालना में पटवारी हल्का बेड़ा द्वारा दिनांक 07.08.2025 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 2774 को नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 को निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में बहाल करते हुए खातेदार जयसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी कुमटिया के नाम खोला गया जिस आदेश दिनांक 07.08.2025 व उसके जरिये खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2774 से व्यथित एवं व्याकुल होकर अपीलाण्ट निम्न आधारो व वजुहातों पर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं:–

1. यह है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 07.08.2025 को स्वीकृत करने में कानुनी एवं वाक्याती गलती की है ।जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
2. यह है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 2774 को खोले जाने से पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारान अपीलाण्ट को नहीं सुना गया न ही सुनवाई का अवसर ही दिया गया व प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के विपरित सुने बिना व सुनवाई का अवसर दिए बिना खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2774 को निरस्त किया जाना न्याय संगत है जिससे भी अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 36 / 2025

उनवान : मोहनलाल व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

3. यह है कि नामान्तरकरण संख्या 2774 के जरिये जो नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में जयसिंह के नाम खोला गया है उक्त जयसिंह को मरे हुए 40 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया व जयसिंह लाऔलाद फौत होने से मृत व्यक्ति के नाम खोला गया स्वयं में शून्य व ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किये जा सकते है। जिससे भी अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
4. यह है कि उक्त खोला गया नामान्तरकरण मृत जयसिंह के नाम खोले जाते वक्त 1/2 हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बेडा में रहन रखा होना बताया गया है जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट वक्ता व अपीलाण्ट चुना ने अपने हिस्से की भूमि पर रहन रखा हुआ है व जब तक ऋण से भूमि मुक्त नहीं हो जाती है तब तक भार व चार्ज वाले कृषि भूमि पर खोला गया नामान्तरकरण कानुनन विधिक नहीं हो सकता है जिससे भी अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
5. यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि रेस्पोडेण्ट ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में लम्बित राजस्व अपील संख्या 376/1988 व 388/1988 भूरमल बनाम केशरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.02.1994 का अवलोकन किये बिना ही भूमिधारी तहसीलदार बाली ने नामान्तरकरण खोले जाने हेतु पटवारी हल्का बेड़ा को निर्देशित किया जबकि निर्णय तक स्थगित किया गया है तथा अन्तिम रुप से उक्त दोनो अपील पर गुणावगुण पर कोई निर्णय नहीं हुआ है जिससे खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2774 कानुनन नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है व अपीलाण्ट की अपील काबिल स्वीकृति के है।
6. यह है कि राजस्व वाद अभी भी विचाराधीन है जो अपील/रिवीजन के विचारणीय रहते हुए लम्बित ही मानी जाती है जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्व वाद का अन्तिम रुप से निर्णय हो गया है तथा अभी भी प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से अपील काबिल स्वीकृति के है।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 07.08.2025 को अपास्त, निरस्त व शून्य घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए अपीलाण्ट के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 36/2025

उनवान : मोहनलाल व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित आधारों को दोहराते हुए आलोच्य नामान्तरकरण की वैधता को प्रश्नगत किया तथा नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा को खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार ने उपस्थित होकर जैर आलोच्य कार्यवाही को पूर्णतः वैध बताया तथा अपील को सारहीन व क्षेत्राधिकार बाधित बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से ज़ाहिर है कि ज़ेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाली ने पटवारी हल्का बेड़ा द्वितीय को ज़रिए आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/882 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आदेशित किया था। उक्त आदेश दिनांक 16.06.2025 में स्पष्ट तौर पर अंकित है कि "प्रकरण संख्या 25/2016 व 24/2016 अर्न्तगत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रकरण में ग्राम बेड़ा प्रथम के गत नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 को न्यायालय के आदेश की पालना में खारिज कर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 सरकार परत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/भू.अ./2025/2127 दिनांक 10.06.2025 के अनुसार भू.अ. शाखा पाली में उपलब्ध नहीं है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप संबंधित पत्रावलियों में सलंग्न नामान्तरकरण संख्या 04 व 100 की पटवार परत को प्राप्त कर , संबंधित सर्किल ऑफिसर से खारिज करवाते हुए दिनांक 20.06.2025 से पहले, पूर्व की स्थिति बहाल कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को पालना रिपोर्ट पेश करे।"

अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्णीत प्रकरण संख्या 24/2016 तथा 25/2016 की पालना में ज़ैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2474 दिनांक 07.08.2025 दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है।

वैधानिक स्थिति यह है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की पूर्वोक्त धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित आदेश/कार्यवाही अर्थात् विवादास्पद नामान्तरकरणों के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अतः क्षेत्राधिकार बाधित होने से हस्तगत अपील मीमों अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को पुनः लौटाया जाने के निर्देश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक **06.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली